कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक-2432/FP/UK/ROAD/23445/2017 :देहरादून:दिनांकः 08 मार्च, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत नौगांव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से थली गांव मोटर मार्ग हेतु 11.6735 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/23445/2017)

संदर्भः–भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/109/2018/एफ0सी0/1543 दिनांक 26–10–2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयक प्रकरण पर कतिपय सूचना चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला का पत्रांक 1512/12–1 दिनांक 23–01–2019 के माध्यम से सूचनायें इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. बिन्दु संख्या–1 के क्रम में Justification Part-I Para D (i) में अपलोड कर दिया गया है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–1)**
2. बिन्दु संख्या–2 के क्रम में C/B analysis Part-I में अपलोड कर दिया गया है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
3. बिन्दु संख्या–3 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम–नौगांव व पुरोला इस मोटर मार्ग से लाभान्वित नहीं होते है। उक्त मोटर मार्ग से मात्र एक गांव थली है जो कि संयोजित/लाभान्वित होता है, जिसकी VLC Proceeding FRA प्रपत्र Uploaded की गयी है। यह मोटर मार्ग नौगांव से पुरोला (राज्य मार्ग) के कि0मी0 2 से प्रारम्भ होता है एवं अन्तिम बिन्दु थली ग्राम तक समाप्त होता है। अतः वांछित नौगांव व पुरोला की VLC Proceeding की आवश्यकता नहीं है।
4. बिन्दु संख्या–4 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि Uploaded Geologist report मुख्यतः उक्त मोटर मार्ग की ही है। जिसकी आख्या के बिन्दु संख्या–7 निष्कर्ष में कि0मी0 01 में पुल निर्माण का सुझाव भी वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है।
5. बिन्दु संख्या–5 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि संशोधित मलवा निस्तारण Part-I में यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
6. बिन्दु संख्या–6 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि मोटर मार्ग निर्माण में 2 कक्ष प्रभावित हो रहे है, जिनका घनत्व क्रमशः 0.7 व 0.2 है तथा दोनो का अनुपातिक घनत्व 0.45 है, जिस कारण एन0पी0वी0 का आंकलन 0.5 Density किया गया है, जिसका निस्तारण भाग–।। प्रपत्र में भी कर दिया गया है।
7. बिन्दु संख्या–7 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि इस मोटर मार्ग के समरेखण में दो वन प्रभागों की भूमि आ रही है, जिसके कारण दो CA योजना upload की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रतिपूरक/क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दी जाने वाली दो गुनी भूमि राजस्व द्वारा एक स्थान पर एक ही patch में चयन कर उपलब्ध करवाई गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। (टौन्स वन प्रभाग हेतु 4.185 है0 + अपर यमुना वन प्रभाग हेतु 19.162 है0 = कुल 23.347 है0 है।) ली जाने वाली वन भूमि 11.6735 है0 है, जिसके सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दी जाने वाली दोगुनी भूमि = 23.347 है0 है।
8. बिन्दु संख्या–8 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि अवसायी कार्य योजना में दी गयी गाइड लाईन के अनुसार ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया गया है। अभी तक उनके वन प्रभाग की कोई कार्य योजना स्वीकृत नहीं हुई है। वन भूमि हस्तान्तरण कार्य अतिमहत्वपूर्ण है।

9. बिन्दु संख्या–9 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित सूचना निम्न प्रकार है :–
   (a) Financial Outlay online Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
   (b) क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन online Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
   (c) क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र Part-I में अपलोड है।
10. बिन्दु संख्या–10 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि पैरा 15 व 16 में संस्तुति कर दी गयी है, जिसे भाग–।। में भी सही किया गया है।
11. बिन्दु संख्या–11 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित सूचना निम्न प्रकार है :–
   (a) Ownership Proof detail संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
   (b) Geo-referenced of Proposed road संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
   (c) Geo-referenced of CA संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
   (d) Undertaking to bear CA cost प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
12. बिन्दु संख्या–12 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि इस मोटर मार्ग का समरेखण अधिकाशतः वन भूमि से होकर गुजरता है, जिसके कारण Muck Dumping स्थल किसी अन्य क्षेत्र में shift किया जाना सम्भव नहीं है तथा उक्त मोटर मार्ग का यह समरेखण लागत एवं पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है एवं इस मोटर मार्ग के मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थल भी पर्यावरण की दृष्टि को मध्ये नजर रखते हुये चयन किये गये है, जिसमें कार्य समाप्ति के पश्चात इन स्थानों पर वृक्षारोपण आदि कार्य भी प्रस्तावित किये गये है, जिसकी विस्तृत योजना भी online Part-I में अपलोड कर दी गयी है व प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
13. बिन्दु संख्या–13 के क्रम में Geo-referenced points of muck dumping sites परियोजना के Geo-referenced map के साथ ही अंकित है व प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
14. बिन्दु संख्या–14 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि संशोधित site inspection report online upload की जा चुकी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
15. बिन्दु संख्या–15 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित वन अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।
16. बिन्दु संख्या–16 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित Justification प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
17. बिन्दु संख्या–17 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि यह मोटर मार्ग Bhagirathi NP के ESZ के अन्तर्गत नहीं आता है और न ही किसी अन्य Wildlife क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः CWLW की आख्या की आवश्यकता नहीं है।
18. बिन्दु संख्या–18 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि Reclamation Plan Online Upload कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या– / **FP/UK/ROAD/23445/2017 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, पुरोला।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक